कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 42 /FP/UK/ROAD/148101/2021 देहरादून:दिनांक: 5 जुलाई, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पाताल भुवनेश्वर दौला नानीशीतला सिमायल भूल की घ्याली चामासौड़ एवं चौखुना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.905 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–आपकी पत्र संख्या–5423/12–1(2) दिनांक 07–06–2022.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में प्रेषित आख्या/सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। आपके द्वारा प्रेषित आख्या अपूर्ण है जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार हैं :–

1. प्रस्ताव को बाइण्डिंग कर प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. प्रस्ताव में क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषय सूची संलग्न करने का कष्ट करें।
3. प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–I के पैरा–A(x) में वन भूमि कितने वर्षो हेतु पर्त्यावर्तित की जा रही है, इसकी सूचना अपलोड नहीं की गयी है। कृपया सही सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।
4. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2044/1–42(III) दिनांक 22–02–2022 एवं शासन के पत्रांक 290/X-3-22/5(03)2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।
5. प्रस्ताव में ऑनलाईन भरे गये पैरा–E में परियोजना निर्माण से 12 पद सृजित होना अंकित किया गया है। कृपया स्पष्ट करें कि क्या परियोजना निर्माण से वास्तविक रूप से 12 पदों का सृजन हो रहा है अथवा नहीं, उक्त सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
7. प्रस्ताव में संलग्न Kml File में मलवा निस्तारण स्थल नहीं दर्शाये गये हैं। मलवा निस्तारण स्थलों को Kml File में दर्शाते हुये अपलोड करने का कष्ट करें।
8. वैकल्पिक एवं वर्तमान समरेखण में प्रभावित वृक्षों का प्रजातिवार गणना कर पृथक–पृथक सूची संलग्न करने का कष्ट करें।
9. प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मीटर एवं 9 मीटर ROW में अलग–अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
10. भारत सरकार के पत्र संख्या–5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक–06.01.2022 द्वारा एन0पी0वी0 की दरो का पुर्ननिधारण किया गया है एवं पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक–19.01.2022 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार ऐसे प्रस्तावों को चिन्हित किया गया है, जिनमें एन0पी0वी की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि जमा करायी जानी है। अपने स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित करनें का कष्ट करें। प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
11. उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।

12. यदि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working permission दे दी गयी है, तो उसकी प्रति भी इस कार्यलय को उपलब्ध करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियाँ पाई गयी हैं अथवा जो अन्य विन्दुओं की सूचनायें उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित हैं, उन कमियों/सूचनाओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी को इस कार्यालय से प्रस्ताव की सभी प्रतियों को वापस प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, तथा समस्त इंगित कमियों/सूचनाओं का निराकरण कराते हुये प्रस्ताव सभी तीन मूल प्रतियों में पुनः इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

Shekhar

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक

संख्या 42 / FP/UK/ROAD/148101/2021 तद्दिनांकित।

1. **प्रतिलिपि** :—प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. **प्रतिलिपि** :—अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग, पिथौरागढ़ को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव सभी तीन प्रतियों में इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Shekhar

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक

O/C